न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/46/2022

श्री ताराचन्द पुत्र प्रेम जाति माली निवासी बिजैशिया मौहल्ला कस्बा नगर तहसील नगर।

.........अपीलार्थी

बनाम

उपखण्ड अधिकारी, नगर।

...........रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 06.07.2022**

अपीलार्थी श्री ताराचन्द पुत्र प्रेम जाति माली निवासी बिजैशिया मौहल्ला कस्बा नगर तहसील नगर की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उपखण्ड अधिकारी नगर के खिलाफ प्राप्त हुई है। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 23.04.2022 से उपखण्ड अधिकारी नगर से सूचना चाही गई थी। उपखण्ड अधिकारी नगर द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर इस कार्यालय के पत्र कमांक/कोर्ट/22/328 दिनांक 08.06.2022 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी नगर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। उपखण्ड अधिकारी नगर से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया। अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में 16 विन्दुओं पर सूचना चाही गई थी। उपखण्ड अधिकारी नगर से कोई जवाव प्राप्त नहीं होना यह जाहिर करता है कि अपीलार्थी को उनके द्वारा चाही गई सूचना के सम्बन्ध में उसे अवगत नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में अपील आंशिक स्वीकार किया जाना उचित पाते है।

.......2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अपील / आरटीआई / 46 / 2022
ताराचन्द बनाम एस.डी.ओ.नगर

अतः आदेश है कि:—

उपरोक्तानुसार अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी नगर को निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के तहत बाध्यकारी प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये सूचना अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को एवं लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट न होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर